संख्या-412/2025/350के-2/22-3-2025-17(72)/24

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी वकील खॉ पुत्र श्री राजेन्द्र खॉ, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2488/प्रो0-7/02/सीमित/एम-12.01.2024, दिनांक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी वकील खॉ (बंदी संख्या-18353) पुत्र श्री राजेन्द्र खॉ, जो अकबरपुर, गीतम सिंह, थाना-फरिया, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। वादी हातिम खॉ के अनुसार घटना दिनांक 12-11-2014 को उसकी पुत्री श्री के0एल0 शास्त्री गर्ल्स इण्टर कॉलेज, बसई खुर्द पढ़ने गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। काफी तलाशी के बाद भी नहीं मिली। पीडिता के अनुसार स्कूल जाते समय उसके पास फोन आया कि तुम्हारे मामा की तबियत खराब है, के बहाने से उसे अपने साथ ऑटो में बिठाकर ले गया, जहां उसने पीडिता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसे वह ट्रेन से अहमदाबाद ले गया, जहां उसके साथ वकील खॉ ने कई बार बलात्कार किया। इस बारे में वादी को पुत्री ने बताया कि धमकी दे रहा था कि अगर यह घटना किसी को बताई तो मैं तुझे मार दूंगा। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-18/2015 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366 तथा यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 की धारा-3क/4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-27/विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court), आगरा के आदेश दिनांक 21-09-2022 द्वारा 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 10-09-2023 तक 28 वर्ष, 10 माह, 27 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बंदी के छूटने से पुनः महिला यौन अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रभावित करने, पुनः यौन अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वकील खॉं पुत्र श्री राजेन्द्र खॉं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी वकील खॉं (बंदी संख्या-18353) पुत्र श्री राजेन्द्र खॉं, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या-350(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 412/2025/350के-2/22-3-2025-17(72)/24

दिनांक 14 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी वकील खॉ (बंदी संख्या-18353) पुत्र श्री राजेन्द्र खॉ, जो अकबरपुर, गीतम सिंह, थाना-फरिया, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। वादी हातिम खॉ के अनुसार घटना दिनांक 12-11-2014 को उसकी पुत्री श्री के0एल0 शास्त्री गर्ल्स इण्टर कॉलेज, बसई खुर्द पढ़ने गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। काफी तलाशी के बाद भी नहीं मिली। पीडिता के अनुसार स्कूल जाते समय उसके पास फोन आया कि तुम्हारे मामा की तबियत खराब है, के बहाने से उसे अपने साथ ऑटो में बिठाकर ले गया, जहां उसने पीडिता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसे वह ट्रेन से अहमदाबाद ले गया, जहां उसके साथ वकील खॉ ने कई बार बलात्कार किया। इस बारे में वादी को पुत्री ने बताया कि धमकी दे रहा था कि अगर यह घटना किसी को बताई तो मैं तुझे मार दूंगा। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-18/2015 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366 तथा यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 की धारा-3क/4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-27/विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court), आगरा के आदेश दिनांक 21-09-2022 द्वारा 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 10-09-2023 तक 28 वर्ष, 10 माह, 27 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बंदी के छूटने से पुनः महिला यौन अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः यौन अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वकील खॉ पुत्र श्री राजेन्द्र खॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in